

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1024

05 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**आयुष औषधि प्रणाली**

1024. श्री अरुण गोविल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार आयुष प्रणाली की औषधियों के विनिर्माण की दिशा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस प्रकार सुनिश्चित करती है; और
- (ख) देश में आयुष औषधियों का मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या प्रणाली अपनाई गई है?

**उत्तर**

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क): आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच) की स्थापना की है। पीसीआईएमएंडएच, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) दवाओं के लिए फॉर्मूलरी विनिर्देश तथा भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है जो एएसयूएंडएच दवाओं की गुणवत्ता (पहचान, शुद्धता तथा शक्ति) का पता लगाने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में कार्य करते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियमों के अनुसार, भारत में विनिर्मित होने वाली एएसयूएंडएच दवाओं के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। अब तक, एएसयूएंडएच दवाओं में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल (पौधे/पशु/खनिज/धातु/रासायनिक मूल की एकल दवाएं) पर 2269 गुणवत्ता मानक, एएसयू फॉर्मूलेशन के 426 गुणवत्ता मानक तथा एएसयू दवाओं के 2799 फॉर्मूलरी विनिर्देश प्रकाशित किए जा चुके हैं। उपर्युक्त के अलावा, भारतीय आयुर्वेदिक भेषजसंहिता (एपीआई) में शामिल 392 एकल दवाओं पर मैक्रो-माइक्रोस्कोपिक और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी (टीएलसी) एटलस के रूप में सहायक दस्तावेज भी प्रकाशित किए गए हैं।

पीसीआईएमएंडएच, एएसयूएंडएच दवाओं के परीक्षण या विश्लेषण के लिए अपीलीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, यह एएसयूएंडएच दवाओं के मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं परीक्षण या विश्लेषण हेतु औषधि विनियामक प्राधिकरणों, औषधि विश्लेषकों और अन्य संगत हितधारकों के लिए नियमित अंतराल पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करता है जिसमें एएसयूएंडएच दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयोगशाला तकनीकों और तौर-तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

इसके अलावा, विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे औषधि नियम, 1945 की अनुसूची-न तथा संबंधित भेषजसंहिताओं में दी गई दवाओं के गुणवत्ता मानकों के अनुसार सुरक्षा एवं प्रभावशीलता के प्रमाण के साथ विनिर्माण इकाइयों तथा दवाओं के लाइसेंस के लिए निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करें और उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) का पालन करें। आज की स्थिति के अनुसार, आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों तथा कच्चे माल के गुणवत्ता परीक्षण के लिए

औषधि नियम, 1945 के नियम 160-क से ज के तहत 34 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं और 108 निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं अनुमोदित की गई हैं या उन्हें लाइसेंस दिया गया है।

खेती एवं संग्रहण की उत्तम पद्धतियों (जीएसीपी) को बढ़ावा देकर औषधीय पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। कच्चे माल की सौर्सिंग तथा प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल सप्लाई-चेन ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध है।

आयुष मंत्रालय के तहत बारह राष्ट्रीय संस्थान और पांच अनुसंधान परिषदें, स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियों में वैज्ञानिक तर्ज पर अनुसंधान करने, उसके समन्वय, निरूपण, विकास तथा संवर्धन में लगी हुई हैं। उनके अनुसंधान में नैदानिक अध्ययन, औषधीय पादप अनुसंधान एवं आयुष दवाओं के मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

(ख): मूल्य नियंत्रण आदेश केवल उन दवाओं पर लागू होता है जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 3 के खंड (ख) के तहत विनिर्दिष्ट हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 2-क के तहत प्रदान की गई अनुसूची में शामिल हैं। इन अनुसूचित दवाओं में आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा तथा यूनानी पद्धतियों की दवाएं शामिल नहीं हैं।

इसके अलावा, आयुष दवाओं के बाजार मूल्य कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जिनमें कच्चे माल, मध्यस्थ-वस्तुओं, पैकेजिंग सामग्री आदि की कीमतों में उतार-चढ़ाव शामिल होते हैं। वर्तमान में, इन लागतों का निर्धारण कई अन्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित कीमतों पर निर्भर करता है।

\*\*\*\*\*